



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2014—पौष 19, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2014-15

(यथा संशोधित)

ग्वालियर, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्रमांक सात-ठेका/2014-15/08 ग्वालियर :- इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 3 दिनांक 7 जनवरी 2014 में प्रकाशित विज्ञापित/सूचना क्रमांक सात-ठेका/2014-15/57 कैम्प, भोपाल दिनांक 07.01.2014 को अतिक्रमित करते हुये राज्य शासन के आदेशानुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए यह संशोधित सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2014-15 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2014 से दिनांक 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए निम्न शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर, पृथक-पृथक/एकल समूहों में संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 में संचालित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन प्रथमतः नवीनीकरण द्वारा एवं नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण के पश्चात शेष बची मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निर्वर्तन/निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा।

- वर्ष 2014-15 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन प्रथमतः वर्तमान अनुज्ञापितधारियों से दिनांक 15 जनवरी, 2014, दिन बुधवार तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर, पात्र आवेदकों के हित में जिले में गठित समिति द्वारा नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा। नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण के पश्चात शेष बची मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन निम्नांकित कण्डिका 57 में दर्शाए गये स्थलों पर दिनांक 31 जनवरी 2014 दिन शुक्रवार को टेण्डर द्वारा किया जायेगा।
- नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण के पश्चात टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों की सूची (जानकारी) संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से दिनांक 18 जनवरी 2014 तक घोषित की जायेगी। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ-साथ, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में कराया जाएगा।

3. मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु प्रत्येक जिले में गठित समिति निम्नानुसार होगी :-

3.1 कलेक्टर	अध्यक्ष
3.2 पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.3 संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी	सदस्य
3.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
3.5 सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का 'कोरम' कलेक्टर एवं सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को सम्मिलित कर, कम से कम तीन सदस्यों का होगा। कोरम पूरा न होने की स्थिति में कोरम हेतु कलेक्टर किसी एक अन्य अधिकारी को सदस्य मनोनीत कर सकेंगे। यह जिला समिति आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण के अध्वधीन निम्न कार्य संपादन करेगी :-

- (1) देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन कराया जाना।
- (2) जिले के प्रत्येक शहर/नगर/ग्राम में एक से अधिक मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें होने की स्थिति में, प्रत्येक दुकान की अवस्थिति (Location) का निर्धारण कर, उसका उल्लेख जिले के विक्रय ज्ञापन में अंकित कराया जाना।
- (3) वर्ष 2013-14 में संचालित जो देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकानें वर्तमान में जिस नाम से स्वीकृत हैं, यदि वे वर्तमान स्थान पर उससे भिन्न नाम से संचालित हैं, तो ऐसी मदिरा दुकानों को उनके वर्तमान स्थान पर ही नाम परिवर्तित कर वर्ष 2014-15 के लिए निष्पादित करने का निर्णय लिया जाना।
- (4) राज्य शासन एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

वर्ष 2014-15 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन निम्नानुसार होंगे :-

4. नवीन मदिरा दुकानों का खोला जाना

वर्ष 2014-15 के लिए राज्य में कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोली जायेगी।

5. वर्तमान मदिरा दुकानों को बन्द किया जाना

वर्ष 2013-14 में संचालित किसी भी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान को वर्ष 2014-15 के लिए बन्द नहीं किया जायेगा।

6. मदिरा दुकानों के नाम में परिवर्तन किया जाना

6.1 वर्तमान वर्ष 2013-14 में संचालित कतिपय देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकानें, जिस नाम से स्वीकृत हैं, यदि वे उससे भिन्न नाम से संचालित हैं, तो ऐसी मदिरा दुकानों के पूर्व नाम को परिवर्तित कर, उसे वर्तमान स्थान पर ही वर्तमान स्थान के नाम से संबंधित जिला समिति द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निष्पादित किया जा सकेगा।

6.2 मदिरा दुकानों के नाम परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी मदिरा दुकान का स्थान एवं उस मदिरा दुकान का वार्षिक मूल्य/आरक्षित मूल्य यथावत (अपरिवर्तित) रहेगा।

7. आरक्षित मूल्य का निर्धारण

7.1 वर्ष 2014-15 के लिए प्रत्येक देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का आरक्षित मूल्य उसके वर्ष 2013-14 के परिगणित वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा।

7.2 वर्ष 2013-14 में जिन एकल समूहों में स्थित देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा की दुकान में या विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा की दुकान में, वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन अनुमत किया गया है, तो ऐसा आदेश जारी किये जाने के दिनांक से उसे दिनांक 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिए समायोजन मानकर (भले ही लायसेंस द्वारा आदेश जारी किये जाने के उपरान्त समायोजन योग्य वार्षिक लायसेंस फीस के विरुद्ध मदिरा का प्रदाय लिया गया हो अथवा नहीं लिया गया हो), एकल समूहों में सम्मिलित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक मूल्य पुनर्गणित (Re-calculate) किया जायेगा।

8. देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की एकल दुकानों के समूह का गठन अथवा पुर्नगठन

- 8.1 देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के जो समूह वर्तमान वर्ष 2013-14 में निर्धारित है, वर्ष 2014-15 के लिये उन्हें यथावत रखा जायेगा। वर्ष 2014-15 के लिए इन समूहों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा। वर्ष 2013-14 में संचालित मदिरा दुकानों के वर्तमान एकल समूह यथावत निष्पादन पर रखे जावेंगे। नवीन एकल समूहों का गठन अथवा वर्तमान समूहों का पुर्नगठन नहीं किया जायेगा।
- 8.2 जिला शाजापुर को तोड़कर बनाये गये नवीन जिला आगर (मालवा) तथा जिला शाजापुर में जो मदिरा दुकानें/एकल समूह भौगोलिक स्थिति अनुसार जिला शाजापुर अथवा नवीन जिला आगर (मालवा) में स्थित हैं, उन्हें उनकी भौगोलिक स्थिति अनुसार संबंधित जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूह के रूप में निष्पादित किया जायेगा। तदनुसार पूर्ववर्ती जिला शाजापुर के निम्न दो समूहों (1) कानड़-चौमा समूह में से देशी मदिरा दुकान चौमा जिला शाजापुर में एवं देशी मदिरा दुकान कानड़ जिला आगर-मालवा में तथा (2) दुपाड़ा-चांदनगांव समूह में से देशी मदिरा दुकान दुपाड़ा जिला शाजापुर में एवं देशी मदिरा दुकान चांदनगांव जिला आगर-मालवा में एकल मदिरा दुकान के रूप में निष्पादित की जायेगी।

9. वार्षिक मूल्य, बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस का निर्धारण

- 9.1 वर्ष 2014-15 के लिए नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादित की गयी मदिरा दुकान/एकल समूह का आरक्षित मूल्य ही उसका वार्षिक मूल्य होगा।
- 9.2 वर्ष 2014-15 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की स्थिति में टेण्डर में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चतम ऑफर की राशि, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2014-15 का वार्षिक मूल्य होगा।
- 9.3 वर्ष 2014-15 के लिये बेसिक लायसेंस फीस नगर निगम क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत तथा अन्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य का 55 प्रतिशत होगी। अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को बेसिक लायसेंस फीस के विरुद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।
- 9.4 वार्षिक मूल्य में से बेसिक लायसेंस फीस कम किये जाने पर अवशेष कुल राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रहेगी। जिसके विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को मदिरा प्रदाय की पात्रता होगी।

10. धरोहर राशि

- 10.1 वर्ष 2014-15 के लिए संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य की 8 प्रतिशत राशि धरोहर राशि होगी।
- 10.2 नवीनीकरण के प्रकरणों में यह राशि चार किशतों में जमा करायी जाएगी। जो संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय बेसिक लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी।
- 10.3 टेण्डर की स्थिति में टेण्डरदाता द्वारा धरोहर राशि, उसके ऑफर के साथ एक मुश्त जमा की जाएगी। सफल टेण्डरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय बेसिक लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी।
- 10.4 असफल टेण्डरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि, उससे रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी।

11. प्रतिभूति राशि

संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के वर्ष 2014-15 के वार्षिक मूल्य का 12 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि होगी।

12. मदिरा दुकानों का स्वरूप

देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2014-15 में केवल बोतल बन्द देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (Bottled in Origin) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं बोतल बन्द भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का ही विक्रय कर सकेगा।

13. नवीनीकरण आवेदन पत्र/टेण्डर प्रपत्र का मूल्य

वर्ष 2014-15 के लिए नवीनीकरण/टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के लिए आवेदन पत्र/टेण्डर प्रपत्र का मूल्य नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 10,000/- तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 5,000/- प्रभारित किया जायेगा।

14. मदिरा दुकानों का निष्पादन

14.1 वर्ष 2014-15 के लिये देशी मदिरा/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्तमान वर्ष 2013-14 के ऐसे लायसेंस, जिन्होंने वर्ष के दौरान कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की है, को वर्ष 2014-15 के लिए अपनी एकल दुकान/एकल समूह के लायसेंस के नवीनीकरण की पात्रता होगी। वर्ष 2013-14 में संचालित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के अनुबंध का वर्ष 2014-15 के लिये सशर्त नवीनीकरण किया जायेगा। नवीनीकरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जायेगा।

14.2 राजस्व हित में उन्हीं जिलों में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जिनमें समग्र में वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य के राजस्व में निहित कम से कम 80 प्रतिशत वार्षिक मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये, नवीनीकरण आवेदन प्राप्त हुये हों। इससे कम वार्षिक मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, उस जिले में वर्तमान लायसेंसधारियों के लायसेंस का नवीनीकरण करने के स्थान पर, समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन सीलड टेण्डर आमंत्रित किये जाकर किया जाएगा।

उदाहरणार्थ यदि किसी जिले की सम्पूर्ण देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2013-14 के लिए परिगणित वार्षिक मूल्य रुपये 10 करोड़ है, तो वर्ष 2014-15 के लिये नवीनीकरण की कार्यवाही उसी दशा में मान्य की जायेगी, जब कम से कम वर्ष 2013-14 के लिए परिगणित वार्षिक मूल्य रुपये 8 करोड़ की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हो जायेंगे। यदि प्राप्त आवेदन वाली मदिरा दुकानों का वर्ष 2013-14 के लिए परिगणित वार्षिक मूल्य रुपये 8 करोड़ से कम है, तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2014-15 के लिये जिले की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा। ऐसी स्थिति में नवीनीकरण हेतु जमा आवेदन पत्र का मूल्य एवं जमा धरोहर राशि को वर्तमान लायसेंस को उससे रसीद प्राप्त कर वापिस कर दिया जायेगा।

14.3 उपरोक्त कण्डिका 14.1 में उल्लेखित अनुसार नवीनीकरण से शेष बची देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2014-15 के लिये निष्पादन सीलड निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा।

15. मदिरा दुकानों का नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की शर्तें

मदिरा दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा किये जाने की स्थिति में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण के संबंध में प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी :-

15.1 वर्ष 2013-14 के ऐसे लायसेंस, जिनके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2013 द्वितीय पक्ष अंत तक देय कोई बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस बकाया नहीं है, उन्हें अपने मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंस का वर्ष 2014-15 के लिए नवीनीकरण का आवेदन वांछित सहपत्रों सहित दिनांक 15 जनवरी 2014 दिन बुधवार को सायं 17.00 बजे तक संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र उपरोक्त कण्डिका क्रमांक-13 में उल्लेखित नियत राशि के नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कौश आर्डर द्वारा भुगतान किये जाने पर कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्रदाय किया जायेगा। मदिरा दुकानों के एकल समूह के लिए आवेदन पत्र, एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप, उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे।

- 15.2 मदिरा दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के सन्दर्भ में राजस्व हित को ध्यान में रखते हुये जिला समिति द्वारा ही प्रकरणवार विचार कर यह निर्णय लिया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा क्या वास्तव में वर्ष 2013-14 में आदतन, दुर्भावना पूर्ण ऐसी कोई गंभीर अनियमितता की गई है, जिससे उसका आचरण उसे मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकान का लायसेंस धारण करने के लिये अपात्र बनाता है ?
- 15.3 उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण, संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा **दिनांक 16 एवं दिनांक 17 जनवरी, 2014** को किया जाकर, पात्र आवेदकों को सम्बन्धित मदिरा दुकानों/ एकल समूहों के वर्ष 2014-15 के लिए परिगणित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी। शेष बची हुई मदिरा दुकानों/एकल समूहों के सम्बन्ध में निष्पादन की कार्यवाही टेण्डर के माध्यम से की जायेगी।
- 15.4 मदिरा दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण हेतु इच्छुक आवेदक की वर्ष 2013-14 के वार्षिक मूल्य की 12 प्रतिशत प्रतिभूति, वर्ष 2014-15 के लिए भी मान्य की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में वर्ष 2014-15 के लिये वार्षिक मूल्य की 12 प्रतिशत प्रतिभूति की शेष राशि, (अन्तर की देय राशि) **दिनांक 15 मार्च, 2014** तक आवेदक/लायसेंसी से अनिवार्यतः जमा कराई जायेगी।
- 15.5 नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसी अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी/अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे :-

(क) निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र ।

(ख) वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत 12 प्रतिशत की अग्रिम प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2015 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति। यदि 12 प्रतिशत प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में है, तो ऐसी बैंक गारंटी की वैधता अवधि में दिनांक 30.04.2015 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी संबंधित बैंक का पत्र। बैंक अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करेगा कि प्रस्तुत बैंक गारंटी वर्ष 2014-15 के संदर्भ में तथा वर्ष 2014-15 के दौरान लायसेंसी द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। बैंक द्वारा ऐसा पत्र रुपये 250/-मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा। बैंक का उक्त पत्र लायसेंसी "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करेगा।

यदि आवेदक/लायसेंसी वर्ष 2014-15 के लिए देय 12 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि नगद अथवा बैंक की सावधि जमा अथवा नवीन बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे नगद राशि अथवा बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा नवीन बैंक गारंटी, 15 मार्च, 2014 तक प्रस्तुत करना होगी। जब तक नवीन प्रतिभूति राशि नगद अथवा बैंक की सावधि जमा अथवा नवीन बैंक गारंटी के रूप में प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत अग्रिम प्रतिभूति की राशि, यदि नगद जमा है, तो उसका समायोजन वर्ष 2013-14 की अवशेष लायसेंस फीस के विरुद्ध अनुमत नहीं होगा। यदि प्रतिभूति की राशि बैंक की सावधि जमा अथवा बैंक गारंटी के रूप में है, तो ऐसी बैंक सावधि जमा अथवा बैंक गारंटी का समायोजन वर्ष 2013-14 की वार्षिक लायसेंस फीस के अन्तर्गत अनुमत नहीं होगा।

(ग) संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की **कण्डिका क्रमांक-10** में उल्लेखित देय धरोहर राशि के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि नगद या समतुल्य राशि का संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा बैंक कैश आर्डर।

(घ) नवीनीकरण हेतु इच्छुक वर्तमान लायसेंसी/आवेदक को वर्ष 2014-15 के लिये **कण्डिका क्रमांक-10** में उल्लेखित देय धरोहर राशि की अवशेष 75 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत राशि दिनांक 25 जनवरी, 2014 तक, 25 प्रतिशत राशि दिनांक 10 फरवरी, 2014 तक तथा शेष 25 प्रतिशत राशि दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक जमा करना होगी। तदनुसार आवेदक इस आशय का नोटराइज्ड शपथपत्र भी **कण्डिका क्रमांक-19.1** में उल्लेखित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करेगा कि :-

(1) आवेदक वर्ष 2014-15 की देय लायसेंस फीस यथा समय जमा करेगा।

- (2) यदि आवेदक **कण्डिका क्रमांक-10** में उल्लेखित धरोहर राशि की अवशेष 75 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत राशि दिनांक 25 जनवरी, 2014 तक, 25 प्रतिशत राशि दिनांक 10 फरवरी, 2014 तक तथा शेष 25 प्रतिशत राशि दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक जमा नहीं करता है, तो उपरोक्तानुसार किसी भी किश्त के जमा न होने पर तथा/अथवा देय 12 प्रतिशत प्रतिभूति की शेष राशि दिनांक 15 मार्च, 2014 तक जमा नहीं करता है, तो उसके द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए पूर्व में जमा 12 प्रतिशत की प्रतिभूति राशि अथवा उसकी बैंक गारंटी तथा वर्ष 2014-15 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसकी मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2014-15 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए। इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (3) यदि जिले में नवीनीकरण के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के 2013-14 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य के 80 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर ही नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, तब नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

16. टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की शर्तें।

- 16.1 वर्ष 2014-15 के लिए नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस, दिनांक 31 जनवरी, 2014 दिन शुक्रवार को निम्नांकित कण्डिका 57 में दर्शाए स्थलों पर टेण्डर द्वारा परिगणित आरक्षित मूल्य पर निष्पादित/निवर्तित किये जायेंगे।
- 16.2 वर्ष 2014-15 के लिये राज्य के जिन जिलों में नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण उपरान्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जायेगा, ऐसी देशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत एवं ड्यूटी की दर, टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी (सेलपेपर) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में दिनांक 18 जनवरी, 2014 को एवं इसके उपरान्त प्राप्त की जा सकती है। ऐसी जानकारी (सेलपेपर) कार्यालयीन समय में इच्छुक टेण्डरदाता को उपलब्ध भी कराई जायेगी। टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ-साथ, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चरपा कराई जायेगी।
- 16.3 संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा।
- 16.4 वर्ष 2014-15 हेतु मदिरा दुकानों/एकल समूहों के टेण्डर द्वारा व्यवस्थापन के लिये विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र, राज्य के प्रत्येक जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। इच्छुक टेण्डरदाताओं द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए टेण्डर प्रपत्र, एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप, समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदान किये जायेंगे। इन टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैंश आर्डर/बैंकर्स चैक के माध्यम से उपरोक्त कण्डिका क्रमांक-13 में उल्लेखित नियत राशि के भुगतान पर, कण्डिका क्रमांक 57 में उल्लेखित कार्यक्रम (टाइम टेबिल) अनुसार घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। टेण्डर प्रपत्र के मूल्य की राशि की विहित प्रारूप में रसीद जारी की जायेगी। यही रसीद, निष्पादन स्थल पर उपस्थित रहने के लिए टेण्डरदाता के प्रवेश पत्र के रूप में मान्य की जायेगी।

- 16.5 मध्यप्रदेश राज्य के सभी जिलों में क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र उपलब्ध रहेंगे। किसी भी जिले से विक्रय किया गया टेण्डर प्रपत्र, अन्य किसी भी जिले में उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में दुकान/एकल समूह के लिए टेण्डर तभी मान्य किया जायेगा, जब उसकी कीमत संबंधित दुकान/एकल समूह में सम्मिलित दुकानों की अवस्थिति के मान से टेण्डर प्रपत्र के लिये भुगतान योग्य कीमत से कम न हो।
- 16.6 विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 16.7 निर्गत टेण्डर प्रपत्र दो भागों में होगा। भाग-एक में टेण्डरदाता को कण्डिका-10 अनुसार जमा की गयी धरोहर राशि का विवरण, निम्नांकित कण्डिका क्रमांक 18 में उल्लेखित प्रारूप में सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज, आयकर स्थायी लेखा संख्या (PAN) कार्ड की प्रमाणित एवं टेण्डरदाता द्वारा स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं वर्तमान में धारित बैंक बचत/चालू खाते की पासबुक की प्रमाणित की गयी छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर, निम्नांकित कण्डिका क्रमांक 19.2 में उल्लेखित प्रारूप में मूल नोटराइज्ड शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर रखना अनिवार्य होगा। इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है, अवश्य लिखा जायेगा।
- टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ-साथ पार्टनरशिप-डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एबट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है, तो टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल की ओर से आवेदक के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र भी उक्त आशय के Resolution के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल आयकर स्थायी लेखा (PAN) क्रमांक तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा।
- टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह का स्पष्ट नाम लिखते हुए अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेण्डर प्रपत्र के भाग-दो में प्रस्तुत करेगा। जिसे वह पृथक लिफाफे में रखकर बंद करेगा। इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है, अवश्य लिखा जायेगा। इसी लिफाफे में वह अपने ऑफर के 1/12 भाग की राशि का टेण्डर की कार्यवाही के लिए निर्धारित तिथि अंकित, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अपने बचत/चालू खाते का पोस्टडेटेड चैक भी रखेगा। टेण्डर प्रपत्र के दोनों भाग "एक" व "दो" के लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में इस तरह चिपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफों को खोला न जा सके। इस बड़े लिफाफे पर उस जिले का नाम जहां की मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये टेण्डर भरा गया है, लिखा जावेगा। टेण्डरदाता द्वारा इस संबंध में निम्नांकित कण्डिका क्रमांक 57 में उल्लेखित कार्यक्रम (टाइम टेबिल) अनुसार घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार टेण्डर प्रस्तुत किया जायेगा।
- 16.8 टेण्डरदाता द्वारा किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्रस्तुत किये गये अपने टेण्डर के साथ, अपनी स्वयं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नांकित कण्डिका क्रमांक-20 (1) एवं 20 (2) में उल्लेखित दस्तावेजों में से, किसी एक-एक दस्तावेज की राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये दस्तावेज को "मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 16.9 किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की एक दुकान/एकल समूह के लिए एक व्यक्ति एक ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा, परंतु एक व्यक्ति एक से अधिक कई अथवा सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए अलग-अलग टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा।
- 16.10 प्रत्येक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के साथ मदिरा दुकान/एकल समूह की निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर राशि नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कौश आर्डर के रूप में जमा करायी जायेगी। असफल टेण्डरदाता के द्वारा जमा

- की गई धरोहर राशि उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी।
- 16.11** टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर में अंकित अपने ऑफर के 1/12 भाग की समतुल्य राशि का संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में टेण्डर की कार्यवाही का दिनांक अंकित, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अपने बचत/चालू खाते का पोस्टडेटेड चैक भी प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यह पोस्टडेटेड चैक, टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के भाग-दो के लिफाफे में रखा जायेगा। सफल टेण्डरदाता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा कर दिये जाने पर या असफल टेण्डरदाता होने की स्थिति में यह पोस्टडेटेड चैक उससे रसीद प्राप्त कर वापिसी योग्य होगा।
- 16.12** सील्ड टेण्डर संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के साथ-साथ, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में भी इस संबंध में निम्नांकित कण्डिका क्रमांक 57 में उल्लेखित कार्यक्रम (टाइम टेबिल) अनुसार घोषित नियत दिनाकों में जमा किये जा सकेंगे, जहां से इन्हें संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु यथास्थिति (सील्ड) भेज दिया जायेगा।
- 16.13** प्रत्येक मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्राप्त समस्त टेण्डरों की संख्या की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी। सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान टेण्डर के निर्गमित मूल्य की रसीद के साथ उपस्थित रह सकते हैं। परंतु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।
- 16.14** टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के घोषित आरक्षित मूल्य के अवरोही क्रम में, मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्रस्तुत टेण्डरों का भाग-एक खोला जाकर, टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। साथ ही टेण्डरदाता द्वारा संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय धरोहर राशि की विधिवत पुष्टि/संतुष्टि होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही, जिला समिति द्वारा टेण्डर का ऑफर, भाग-दो फाईनेन्शियल बिड को खोला जाएगा। फाईनेन्शियल बिड के लिफाफे में टेण्डरदाता के ऑफर के 1/12 भाग के पोस्ट डेटेड चैक की अनुपस्थिति में अथवा उसके त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में, टेण्डरदाता द्वारा भाग-दो फाईनेन्शियल बिड में अंकित ऑफर विचारणीय नहीं होगा।
- 16.15** टेण्डरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेण्डर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा कर सकता है। संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के अन्य टेण्डरों के भाग-एक खोलने के पूर्व, ऐसे टेण्डरदाताओं की पात्रता के बारे में, जिला समिति द्वारा निष्पादन स्थल पर घोषणा की जायेगी। अगर टेण्डरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेण्डर प्रपत्र का भाग-दो खुलने से उसका ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) प्रकट हो जाता है तथा टेण्डर प्रपत्र के भाग-एक अनुसार टेण्डरदाता अपात्र नहीं है और भाग-दो में अंकित ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) के 1/12 भाग का पोस्टडेटेड चैक संलग्न पाया जाता है, तो ही उसका ऑफर विचारणीय होगा, अन्यथा नहीं।
- 16.16** प्रत्येक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के साथ मदिरा दुकान/एकल समूह की निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर राशि नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रूप में जमा करायी जायेगी। असफल टेण्डरदाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी।
- 16.17** टेण्डर प्रपत्र भाग-एक के अभिलेखों में धरोहर राशि के विधिवत जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार जिला समिति मौके पर करवा सकेगी। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका-समाधान के लिए, संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।
- 16.18** टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सशर्त अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा।
- 16.19** टेण्डर के माध्यम से प्राप्त ऑफर का अवरोही क्रम (Descending Order) में प्रत्येक टेण्डर के

अनुरूप विवरण तैयार किया जावेगा। प्राप्त उच्चतम ऑफर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिला समिति स्वीकार कर लेगी। अन्यथा स्थिति में मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्राप्त टेण्डरों का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर, इसकी सूचना तत्काल आबकारी आयुक्त को दी जाएगी। घोषित आरक्षित मूल्य की तुलना में, टेण्डर के ऑफर की राशि कम होने की दशा में, जिला समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर को दी जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के निर्देश दिए जाने पर, कलेक्टर टेण्डर की स्वीकृति की जानकारी देंगे। इसके विपरीत ऑफर को स्वीकृत न किए जाने के निर्देश दिये जाने की स्थिति में, कलेक्टर अन्य आगामी तिथि पर टेण्डर के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही संपन्न किए जाने की घोषणा करेंगे। नियत समय पर आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, निष्पादन की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस के लिए स्थगित रहेगी। टेण्डर द्वारा निष्पादन के प्रथम चरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त, द्वारा घोषित/निर्धारित दिनांक को पुनः टेण्डर आमंत्रित कर, किया जाएगा। ऐसे टेण्डरों का निराकरण भी उपरोक्त प्रावधान अथवा शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था से होगा।

- 16.20 टेण्डर के माध्यम से किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक समान उच्चतम राशि का एक से अधिक ऑफर प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेण्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
- 16.21 टेण्डरदाता द्वारा निम्नांकित कण्डिका क्रमांक-19.2 में वर्णित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने वाले नोटराईज्ड शपथ पत्र में यह स्पष्ट आशय अंकित किया जायेगा कि "टेण्डरदाता को यह ज्ञात है कि उसे अनुज्ञापित मदिरा दुकान के लिए जिला समिति द्वारा घोषित निर्धारित क्षेत्र (Location) में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व उसका स्वयं का है।"
- 16.22 उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर की पुष्टि तक, टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो उस मदिरा दुकान/एकल समूह को, टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकायों की भांति वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेण्डर की शर्तों के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारा की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।

17. व्यक्ति जो टेण्डर देने से वर्जित होंगे

देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लिए ऐसे ही व्यक्ति टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नलिखित व्यक्ति टेण्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे -

- 17.1 कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।
- 17.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रॉ राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।
- 17.3 वर्ष 2013-14 की अवधि का अनुज्ञापितधारी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह दिसम्बर, 2013 के द्वितीय पक्ष अंत तक की संपूर्ण देय बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस न पटाई गई हो।
- 17.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायसेंस रखा हो और लायसेंस की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाली जिला समिति के मत में संतोषजनक न रहा हो।
- 17.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।
- 17.6 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता जिला समिति को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।
- 17.7 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी

अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केंडाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

18. सहमति करार प्रस्तुत किया जाना

टेण्डर द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के निवर्तन संबंधी शर्तों को, टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

प्रत्येक टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह टेण्डर की प्रक्रिया में टेण्डर की शर्तों और निर्बंधनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तदनुसार राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत/चालू बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

सहमति करार

टेण्डरदाता का स्वप्रमाणित फोटो जो राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो।

मैं (टेण्डरदाता का नाम) पिता/पति
श्री..... निवासी, धन्धे का स्थान
..... आयु..... (वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि :-

- (1) मेरे राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता है।
- (2) मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/ डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा (PAN) क्रमांक..... है।
- (3) मैंने देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2014-15 के लिए टेण्डर द्वारा निवर्तन की शर्तें पढ़-सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बंधनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूँ।
- (4) मैंने जमा की गई धरोहर राशि का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है।
- (5) मैं टेण्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप की गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पण के लिए करार करता/करती हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूँ कि पुनः निष्पादन/पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

टीप :-

- (1) प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा (PAN) क्रमांक उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) टेण्डर दाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होगा।

श्रीको उपरोक्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के उल्लेखित टेण्डर द्वारा निवर्तन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी
जिला

दिनांक

19. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना

19.1 नवीनीकरण हेतु आवेदक के लिए

प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम).....
(पिता/पति का नाम) निवासी
(पता) शपथपूर्वक
सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि :-

- (1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम)..... की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूँ।
- (2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2014-15 के लिये उल्लेखित नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूँ/हैं।
- (3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।
- (4) मेरे द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए देय 12 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि नगद अथवा बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा नवीन बैंक गारन्टी के रूप में, दिनांक 15 मार्च, 2014 तक अथवा विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर दी जायेगी।
- (5) मैंने नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि की 25 प्रतिशत राशि कुल रूपये निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :-
(I) नगद राशि रूपये.....
(II) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कौश आर्डर रूपये.....

योग :- रूपये

- (6) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कौश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।
- (7) मैं नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।
- (8) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।
- (9) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को

निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

- (10) यह कि मैं अनुज्ञप्तिधारक के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के 9 पोस्ट डेटेड बैंक चैक्स के मामले में बैंक जारीकर्ता बैंक को ठेका अवधि में चैक्स का भुगतान रोकने के लिए निर्देशित नहीं करूंगा।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक / /2014

सत्यापन लेख

मैं, (नाम).....(पिता/पति का नाम) श्री..... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (10) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक / /2014

19.2 टेण्डरदाता के लिए

प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

शपथ-पत्र

मैं स्वयं (नाम)..... (पिता/पति का नाम)

निवासी

(पता)

.....
शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि :-

- (1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम).....की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूँ।
- (2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2014-15 के लिये उल्लेखित टेण्डर की कार्यवाही में टेण्डर/ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूँ/हैं।
- (3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।
- (4) मैंने टेण्डर प्रक्रिया द्वारा जिला की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि कुल रूपयेनिम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :-

- | | | |
|------|---|------------|
| (I) | नगद राशि | रूपये..... |
| (II) | बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कौश आर्डर | रूपये..... |

योग :- रूपये

- (5) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कौश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।
- (6) चयनित होने की दशा में मेरे द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए देय 12 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस में अथवा दिनांक 30 मार्च 2014 तक, जो अवधि पहले आये जमा कर दी जायेगी। अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स भी निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।
- (7) मैं चयनित होने की दशा में प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।

- (8) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।
- (9) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए, मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में एवं टेण्डर प्रपत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को टेण्डर में अंकित ऑफर को तथा लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, अग्रिम धन, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (10) यह कि मैं सफल टेण्डरदाता के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के 9 पोस्ट डेटेड बैंक चैक्स के मामले में बैंक जारीकर्ता बैंक को ठेका अवधि में बैंक का भुगतान रोकने के लिए निर्देशित नहीं करूंगा।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....
दिनांक / /2014

सत्यापन लेख

मैं, (नाम).....(पिता/पति का नाम) श्री..... शपथपूर्वक कथन करता/ करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (10) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।
स्थान.....

हस्ताक्षर.....
दिनांक / /2014

20. **टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में**
टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक-एक दस्तावेज की किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई छायाप्रति को **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

- (1) पासपोर्ट।
- (2) स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड।
- (3) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)।
- (4) ड्रायविंग लायसेंस।
- (5) फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।

20.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

- (1) अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।
- (2) अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
- (3) अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि-फिलिंग की रसीद।
- (4) अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
- (5) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
- (6) स्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र।
- (7) बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।

21. प्रतिभूति की राशि जमा किया जाना

- 21.1 प्रतिभूति की राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की स्थिति में दिनांक 15 मार्च 2014 तक एवं टेण्डर द्वारा निष्पादन की स्थिति में निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस में अथवा दिनांक 30 मार्च 2014 तक, जो अवधि पहले आये जमा करनी होगी।
- 21.2 संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस, प्रतिभूति राशि जमा हो जाने के पश्चात ही जारी किया जायेगा।
- 21.3 प्रतिभूति राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2015 तक की वैधता अवधि के अधीन जारी की गई बैंक गारंटी के रूप में होगी।
- 21.4 प्रतिभूति की राशि, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सावधि जमा के रूप में भी प्रस्तुत की जा सकेगी। जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2015 तक की होगी।
- 21.5 सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में अथवा दिनांक 30 मार्च 2014, जो भी पहले हो तक यदि प्रतिभूति जमा नहीं करता है तथा प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि नगद जमा कर, शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी दिनांक 30 अप्रैल 2014 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है तो, (इस प्रतिबंध के अधीन कि देय प्रतिभूति की 50 प्रतिशत नगद जमा राशि, मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर, उसका समायोजन देय बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस के विरुद्ध माह मार्च 2015 के पूर्व आदेशित/मान्य नहीं किया जायेगा,) आवेदक लायसेंसी के आवेदन को मान्य किया जाकर, लायसेंस जारी किया जायेगा।
- 21.6 सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2014 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।
- 21.7 प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, रूपये 250/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी।

22. अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्ट डेटेड चैक जमा कराया जाना

वर्ष 2014-15 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर अथवा अन्य किसी रीति द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसी को उसकी, मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर, एक माह के समानुपातिक वार्षिक मूल्य के समतुल्य राशि के माह मई, 2014 से माह जनवरी, 2015 तक प्रत्येक माह की पहली तिथि में जारी, नौ (09) पोस्ट डेटेड चैक, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उसके वर्तमान में संधारित बचत/चालू खाते से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किये गये हों, अतिरिक्त गारंटी के रूप में मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 20 दिवस अथवा दिनांक 30 मार्च 2014, जो भी पहले हो, जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त चैकों को वर्ष 2014-15 में किसी भी समय, एक माह से अधिक अवधि की वार्षिक लायसेंस फीस/बेसिक लायसेंस फीस की देयता लंबित होने पर ही, बकाया लायसेंस फीस की वसूली हेतु बैंक में भेजा जायेगा। यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य (बेसिक लायसेंस फीस + वार्षिक लायसेंस फीस) चुका दिया जाता है तो, उपरोक्त पोस्ट डेटेड चैकों को लायसेंसी से प्राप्ति रसीद लेकर, मूलतः वापस कर दिया जायेगा। लायसेंसी इन पोस्ट डेटेड चैकों के संबंध में बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करेगा कि इन चैकों का भुगतान न किया जाये। इस संबंध में वह शपथ पत्र में भी उल्लेख करेगा।

23. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना

वर्ष 2014-15 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर अथवा अन्य किसी रीति द्वारा निष्पादित मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंसी को उसकी, मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार निष्पादन एवं समस्त वांछित

औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही उसे संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस जारी किया जायेगा।

24. ड्यूटी दरें :-

वर्ष 2014-15 के लिये देशी एवं विदेशी मदिरा के लिये ड्यूटी दर निम्नानुसार रहेगी :-

24.1 देशी मदिरा की ड्यूटी दरें

25 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन की ड्यूटी दर एक समान रूपये 92/- प्रति प्रूफ लिटर रहेगी।

24.2 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की ड्यूटी दरें

क्र	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर	ड्यूटी दर
1.	रूपये 800 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 120 प्रतिशत या रूपये 625/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
2.	रूपये 801 से रूपये 1100 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 100 प्रतिशत या रूपये 975/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
3.	रूपये 1101 से रूपये 1600 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 75 प्रतिशत या रूपये 1100/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
4.	रूपये 1601 से रूपये 2800 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 50 प्रतिशत या रूपये 1250/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
5.	रूपये 2801 से रूपये 4000 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 45 प्रतिशत या रूपये 1500/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
6.	रूपये 4001 से रूपये 10000 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 25 प्रतिशत या रूपये 1850/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
7.	रूपये 10000 से अधिक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 22 प्रतिशत या रूपये 2600/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।

24.3 विदेशी मदिरा (बीयर) पर ड्यूटी

बीयर पर ड्यूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 40 प्रतिशत या रूपये 115/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो, प्रभारित की जायेगी।

24.4 Low Alcoholic Beverages रेडी टू ड्रिंक (Ready to drink) पेय पर ड्यूटी दर

फलों के जूस, कोला, सोडा अथवा फ्लेवर के साथ तैयार किये गये ऐसे Low Alcoholic Beverages [रेडी टू ड्रिंक (Ready to drink)] पेय, जिसमें 8 प्रतिशत तक एल्कोहल हो व जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर कम से कम रूपये 700/- प्रति पेटी (275 मिली लीटर की 24 बोतल या समतुल्य) हो, विक्रय किये जायेंगे। इस पर प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर के 40 प्रतिशत की दर से ड्यूटी प्रभारित की जायेगी।

24.5 ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी

बार लायसेंसों को प्रदाय की जाने वाली ड्राफ्ट बीयर पर वर्ष 2014-15 के लिये ड्यूटी रूपये 20/- प्रति बल्क लीटर की दर से प्रभारित की जायेगी।

24.6 विदेशी मदिरा (वाईन) पर ड्यूटी

विदेशी मदिरा (वाईन) पर ड्यूटी दर रूपये 125/- प्रति प्रूफ लीटर रहेगी। जबकि मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन पर ड्यूटी दर पूर्ववत् शून्य रहेगी।

24.7 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर ड्यूटी दर

वर्ष 2014-15 में रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर ड्यूटी, सिविलियन्स के लिए देय ड्यूटी का, रम के लिए 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

नोट:- पेटी से आशय Low Alcoholic Beverages रेडी टू ड्रिंक पेय को छोड़कर, शेष विदेशी मदिरा की 12 क्वार्टर बोतल अथवा समतुल्य मात्रा से है।

25. आयातित विदेशी मदिरा पर चुकाई गई बोतल फीस का समायोजन वार्षिक लायसेंस फीस में दिया जाना।
वर्ष 2014-15 में विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (Bottled In origin) आयातित विदेशी मदिरा का राज्य में आयात किये जाते समय चुकाई गई बोतल फीस के समतुल्य राशि का समायोजन विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को, संबंधित मदिरा की फुटकर विक्री की दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में अनुमत किया जायेगा।
26. एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों में परस्पर वार्षिक मूल्य का अन्तरण
एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य में समूह की देशी मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा दुकानों में अथवा विदेशी मदिरा दुकानों से देशी मदिरा दुकानों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक अन्तरण (Transfer) की अनुमति वर्ष 2014-15 में दी जा सकेगी। तदनुसार जिस देशी/विदेशी मदिरा दुकान में वार्षिक मूल्य के अन्तरण (Transfer) की अनुमति उपरोक्तानुसार दी जाती है, उस देशी/विदेशी मदिरा दुकान, जिसमें अन्तरण की अनुमति दी गयी है, में बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस समानुपातिक आधार पर अन्तरित (Transfer) होगी। यह अन्तरण संबंधित लायसेंसी की मांग एवं आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के अनुमोदन उपरान्त अनुमत किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार आदेशित अन्तरण वर्ष 2014-15 के दौरान विपर्यय (Reversible) नहीं होगा। अर्थात् वर्ष 2014-15 के दौरान एकल समूह की देशी मदिरा दुकान से यदि विदेशी मदिरा दुकान में वार्षिक मूल्य का अन्तरण अनुमत किया गया है तो वर्ष के दौरान उसी समूह की विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा दुकान में अथवा एकल समूह की विदेशी मदिरा दुकान से यदि देशी मदिरा दुकान में वार्षिक मूल्य का अन्तरण अनुमत किया गया है तो वर्ष के दौरान उसी समूह की देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा दुकान में अन्तरण अनुमत नहीं होगा। ऐसी अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से आदेशित न की जाकर, आदेश जारी किये जाने के दिनांक के आगामी पक्ष से प्रभावी होगी।
27. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण व अंकन
27.1 वर्ष 2014-15 के लिए प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के साथ-साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल का न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) निर्धारित किये जाने व बोतल पर चिपकाये जाने वाले लेबिल पर उसका अंकन किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभावी रहेगी।
27.2 नगर पालिका, नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मदिरा दुकानों के लिये देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के किस्मवार एवं लेबिल वार निर्धारित किये गये न्यूनतम विक्रय मूल्य की तुलना में, नगर निगम (इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर सहित अन्य नगर निगम) क्षेत्रों में एवं उसकी अधिसूचित परिसीमा से लगे हुए पांच किलोमीटर परिधि के बाह्य भू-भाग में स्थित मदिरा दुकानों के लिये न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) निर्धारित किये गये न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से 10 प्रतिशत अधिक होगा।
27.3 उपरोक्तानुसार कण्डिका 27.2 में वर्णित स्थानों पर स्थित मदिरा दुकानों में लाइसेंसी द्वारा दुकान पर लगाये जाने वाले साइन बोर्ड पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि मदिरा दुकान पर देशी मदिरा का किस्मवार/विदेशी मदिरा का लेबिलवार न्यूनतम विक्रय मूल्य, बोतल के लेबिल पर अंकित/मुद्रित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से 10 प्रतिशत अधिक है।
27.4 मदिरा की फुटकर विक्री की दुकान का लायसेंसी न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) के बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा।
28. होलोग्राम
वर्ष 2014-15 में भी विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं प्रत्येक धारिता की बोतल पर विभाग द्वारा निर्धारित सिक्वोरिटी होलोग्राम यथावत लगाया जायेगा।

29. शॉप बार लायसेंस

वर्ष 2014-15 में भी विदेशी मदिरा की ऑफ श्रेणी की दुकानों में "शॉप-बार (Shop-Bar) लायसेंस निम्न प्रतिबन्धों के अधीन गुण-दोष के आधार पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे :-

- 29.1 "शॉप-बार" का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) कम से कम 300 वर्गफीट होगा। ऐसा परिसर संबंधित विदेशी मदिरा दुकान से लगा होना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक दुकान से विदेशी मदिरा का क्रय कर, उसका उपभोग इस परिसर में कर सकें। यह सुविधा एक से अधिक तल पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- 29.2 "शॉप-बार" परिसर अनिवार्यतः एयर कूल्ड/एयर कन्डीशन्ड होगा।
- 29.3 "शॉप-बार" परिसर में शुद्ध जल की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- 29.4 "शॉप-बार" परिसर में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- 29.5 "शॉप-बार" में फर्नीचर, हवा, प्रकाश एवं अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होगी। "शॉप-बार" परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य-रक्षा (Hygiene) का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- 29.6 "शॉप-बार" 12 फीट से कम चौड़ी गली में स्थित नहीं होगा।
- 29.7 "शॉप-बार" में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।
- 29.8 "शॉप-बार" का संचालन लायसेंसी द्वारा स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को संचालन की पात्रता नहीं होगी। ऐसा पाया जाने पर "शॉप-बार" हेतु स्वीकृत एफ.एल.-1-ख लायसेंस निरस्त कर दिया जावेगा।
- 29.9 वर्ष 2014-15 में स्वीकृत किये जाने वाले "शॉप-बार" लायसेंस हेतु, वार्षिक लायसेंस फीस, संबंधित विदेशी मदिरा दुकान के वर्ष 2014-15 के लिये विनिश्चित किये गये वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर अग्रिम देय होगी।

30. देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था

वर्ष 2014-15 के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

- 30.1 वर्ष 2014-15 में देशी मदिरा की दो किस्में मसाला 25 डिग्री अन्डरप्रूफ एवं प्लेन 50 डिग्री अन्डरप्रूफ पूर्ववत् प्रचलन में रहेंगी। देशी मदिरा मसाला "रंगीन" तथा प्लेन मदिरा "रंगहीन" होगी।
- 30.2 देशी मदिरा की भराई पूर्वानुसार शब्द "देशी मदिरा" व "मोप्रो आबकारी" तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कांच की बोतलों में की जाएगी। कांच के साथ पैट बोतलों में भी देशी मदिरा की भराई की जाएगी। पैट बोतलों में बोतल की धारिता उत्कीर्ण होगी।
- 30.3 देशी मदिरा का प्रदाय कांच तथा पैट बोतलों में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी की मांग अनुसार किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अधिकृत होंगे, जिनके निर्देशानुसार देशी मदिरा भाण्डागारों के मध्य भाण्डागार अधिकारी इस आशय का मांग पत्र प्रदाय संविदाकार को भेजेंगे कि उन्हें कांच और पैट में कितनी-कितनी और किस-किस धारिता की बोतल बन्द देशी मदिरा भेजी जाये।
- 30.4 देशी मदिरा की बोतलों की धारिता पूर्वानुसार 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर तथा 180 मिलीलीटर की होगी।
- 30.5 देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की प्रत्येक पेटी में 750 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 12 नग, 375 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 24 नग तथा 180 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 50 नग होंगे। देशी मदिरा तीन प्लाई के मजबूत कोरोगैटेड बॉक्स में प्रदाय संविदाकार आसवक द्वारा अपनी बॉटलिंग इकाई में पैक की जाएगी।
- 30.6 फुटकर ठेकेदार अपनी आवश्यकता के अनुसार बोतल बन्द देशी मदिरा, वर्तमान स्टोरेज मध्य भाण्डागार के माध्यम से शासन द्वारा अनुमोदित किये गये आसवक/प्रदाय संविदाकार से प्रति पेटी अनुमोदित दरों पर क्रय कर सकेगा। कांच एवं पैट बोतलों की प्रति पेटी कीमत पृथक-पृथक होगी, किन्तु बोतल, अब्दा तथा पाव की पेटियों की अनुमोदित क्रय दर एक संमान होगी।
- 30.7 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के इच्छुक व्यवसायियों को यह आश्वस्त किया जाता है कि वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में देशी मदिरा के थोक प्रदाय दरों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। थोक मूल्य में यदि 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है, तो उसका वित्तीय भार शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
- 30.8 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को उसकी देशी मदिरा दुकान की पाक्षिक लायसेंस फीस के आधार पर, दुकान में कम से कम एक दिन की औसत खपत के 10 प्रतिशत के

- समतुल्य देशी मदिरा का संग्रह, कांच की बोतलों में हमेशा रखना अनिवार्य होगा।
- 30.9 देशी मदिरा भाण्डागार से उसी किस्म एवं धारिता की बोतल बंद देशी मदिरा प्रदाय की जाएगी, जो तत्समय गोदाम में भण्डारित होकर प्रदाय के लिये उपलब्ध होगी।
- 30.10 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार को देय वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान करना होगा।
- 30.11 वर्ष 2014-15 दौरान देशी मदिरा की आपूर्ति उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार से भी की जा सकेगी, जैसा कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेशित किया जाये।
31. **विदेशी मदिरा का प्रदाय**
- 31.1 वर्ष 2014-15 में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मांग अनुसार चाही गयी विदेशी मदिरा का प्रदाय, देय कीमत का पृथक से भुगतान किये जाने पर संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालय सिवनी व शिवपुरी, जिला होशंगाबाद के तहसील मुख्यालय इटारसी तथा जिला खरगौन के सनावद में स्थापित व विभागीय नियंत्रण के अधीन संचालित विदेशी मदिरा भांडागारों के माध्यम से, पूर्व आदेशित व्यवस्था अनुसार किया जाएगा।
- 31.2 वर्ष 2014-15 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को विदेशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देय वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान करना होगा।
32. **विदेशी मदिरा भाण्डागार से प्रदायित विदेशी मदिरा पर देय परिवहन फीस**
वर्ष 2014-15 में विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर पर, 8 प्रतिशत की दर से परिवहन फीस पूर्ववत् पृथक से प्रभारित की जायेगी।
33. **ड्राफ्ट बीयर के प्रदाय के संबंध में**
वर्ष 2014-15 में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की एफ.एल.-1/एफ.एल.-1 कककक दुकानों से लूज (गैर बोतल बन्द) ड्राफ्ट बीयर का विक्रय नहीं किया जायेगा। लूज (गैर बोतल बन्द) ड्राफ्ट बीयर, केवल रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4), व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4क), आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल.-5) तथा सैनिक कैन्टीन क्लब बार (एफ.एल.-8) लायसेंसी को नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर, उत्पादन इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र पर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु के लिए प्रदाय की जाएगी।
34. **बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस जमा करने की प्रक्रिया**
- 34.1 वर्ष 2014-15 के लिये निष्पादित की गई मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए निर्धारित बेसिक लायसेंस फीस में से देय एवं जमा कराई गई धरोहर राशि को कम करने के पश्चात् शेष बेसिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगी। वर्ष के प्रथम त्रैमास में उक्त का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा, यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है, तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात् ठेका अवधि की अंतिम किश्त 25 मार्च 2015 तक जमा करना अनिवार्य होगा। **अनुज्ञापिधारक (लायसेंसी) को उपरोक्तानुसार जमा बेसिक लायसेंस फीस के विरुद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।**
- 34.2 वर्ष 2014-15 में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए परिगणित वार्षिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगी। वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा। यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात् ठेका अवधि की अंतिम किश्त 25 मार्च 2014 तक जमा करना अनिवार्य होगा। 25 मार्च, 2015 के पश्चात् जमा राशि के विरुद्ध मदिरा

प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। दिनांक 25 मार्च 2015 को जमा चालानों पर 27 मार्च 2015 तक ही प्रदाय दिया जावेगा।

- 34.3** देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापिधारियों द्वारा देशी मदिरा तथा/अथवा विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की जो मात्रा क्रय की जायेगी, उसके एवज में निर्धारित दरों पर जमा ड्यूटी की राशि, उसकी संबंधित पक्ष की वार्षिक लायसेंस फीस की समतुल्य निर्धारित, पाक्षिक मांग के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।
- 34.4** यदि किसी पक्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के समतुल्य मदिरा क्रय करने के उपरांत अनुज्ञापिधारी और अधिक मदिरा क्रय करता है, तो इस प्रकार अधिक जमा ड्यूटी की राशि का समायोजन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आगामी अवधि की वार्षिक लायसेंस फीस के विरुद्ध अनुमत किया जा सकेगा।
- 34.5** यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस द्वारा संबंधित पक्ष की देय बेसिक लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त उसी पक्ष में जमा नहीं कराई जाती है तो, आगामी पक्ष में जमा की गयी वार्षिक लायसेंस फीस की राशि को, प्रथमतः पिछले पक्ष की शेष रही बेसिक लायसेंस फीस के विरुद्ध, उस सीमा तक समायोजित किया जायेगा, जिस सीमा तक देय बेसिक लायसेंस फीस अवशेष रही है एवं इस राशि के विरुद्ध, उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यदि अवशेष बेसिक लायसेंस फीस सम्पूर्ण रूप से आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।
- 34.6** यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस द्वारा संबंधित पक्ष की देय वार्षिक लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त उस पक्ष में जमा न कराई जाकर, आगामी पक्ष/पक्षों में जमा कराई जाती है तो, ऐसी विलम्ब से जमा कराई गई वार्षिक लायसेंस फीस की राशि के विरुद्ध उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यह अवशेष वार्षिक लायसेंस फीस, यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।
- 34.7** एकल समूह की मदिरा दुकानों का पृथक-पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, किन्तु एकल समूह की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस बकाया रहने पर, वह बकाया संपूर्ण एकल समूह की बकाया मानी जाएगी। ऐसी बकाया रहने पर, उस एकल समूह की किसी भी दुकान को आगामी पक्ष में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा, जब तक उस एकल समूह की समस्त मदिरा दुकानों की अवशेष बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस जमा न हो जाए। यह बकाया बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण एकल समूह का लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा, तथा/अथवा एकल समूह की सभी दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।
- 35. देशी एवं विदेशी मदिरा के पाक्षिक प्रदाय की व्यवस्था**
- 35.1** मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापिधारक को किसी पक्ष में देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरुद्ध, मदिरा प्राप्त करने के लिये जमा ड्यूटी की राशि का कोषालय चालान, राशि जमा किये जाने के 05 दिवस के अन्दर अथवा पक्षांत तक, जो भी पहले हो, संबंधित भाण्डागार अधिकारी अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- 35.2** माह मार्च को छोड़कर, अन्य किसी भी माह के प्रथम अथवा द्वितीय पक्ष में ड्यूटी की जमा राशि के चालान पर, ड्यूटी की राशि जमा किये जाने के दिनांक से 05 दिन बाद तक की अवधि में ही लायसेंस को देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के प्रदाय की पात्रता होगी।
- 35.3** अनुज्ञापिधारक को पक्षांत के पूर्व जमा राशि के विरुद्ध पक्षांत पश्चात् मदिरा का प्रदाय तभी देय होगा, जब उस पक्षांत तक देय सम्पूर्ण बेसिक लायसेंस फीस अनुज्ञापिधारक द्वारा पूर्ण रूप से जमा कर दी गई हो।
- 35.4** पांच (05) दिनों की इस अवधि में, जिस दिन राशि जमा की गई है, वह दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन (यदि कोई हो) गणना में नहीं लिये जायेंगे।

- 35.5 अन्यथा स्थिति में जमा ड्यूटी की राशि को संबंधित लायसेंस की उस पक्ष की वार्षिक लायसेंस फीस की पाक्षिक मांग के विरुद्ध, नगद राशि जमा मानकर समायोजित किया जायेगा। लायसेंस को ड्यूटी की ऐसी जमा राशि के विरुद्ध पश्चातवर्ती अवधि में मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।
- 35.6 प्रशासनिक कारणों से, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की अनुमति से मदिरा प्रदाय हेतु उपरोक्त बन्धनों से छूट दी जा सकेगी।
- 35.7 जनरल क्लॉजेज एक्ट (साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा-7 के अनुसार, यदि मध्यप्रदेश में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए कोई निश्चित तिथि या अवधि के अन्तिम दिवस में कार्यालय बन्द हो और यदि उसके अगले कार्यकारी दिवस में वह कार्य किया जाता है तो, उस कार्य को समय पर किया जाना माना जाएगा। तदनुसार यदि पक्ष के अन्तिम दिवस/दिवसों में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत घोषित अवकाश में बैंक बन्द रहता है, जिसके कारण पक्ष के अन्तिम कार्यकारी दिवस में बेसिक/वार्षिक लायसेंस फीस जमा न की जाकर, उसके बाद आने वाले कार्यकारी दिवस में जमा की जाती है, तो ऐसी जमा बेसिक/वार्षिक लायसेंस फीस को पूर्ववर्ती पक्ष में जमा लायसेंस फीस मानकर कार्यवाही की जायेगी।

36. वार्षिक मूल्य जमा होने के बाद मदिरा का प्रदाय

किसी मदिरा दुकान की वर्ष 2014-15 के लिये निर्धारित बेसिक लायसेंस फीस (वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत अथवा 55 प्रतिशत राशि) सम्पूर्ण रूप से जमा हो जाने के उपरांत, वर्ष की शेष अवधि में संबंधित दुकान को मदिरा का प्रदाय दिये जाने के लिये अतिरिक्त रूप से बेसिक लायसेंस फीस जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लायसेंस को उसकी मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय मात्र जमा ड्यूटी के विरुद्ध दिया जावेगा। अर्थात् वर्ष 2014-15 के लिये किसी लायसेंस द्वारा उसकी मदिरा दुकान (एकल समूह की स्थिति में समूह में सम्मिलित सभी मदिरा दुकानों) के पूरे वर्ष की बेसिक लायसेंस फीस जमा कर दिये जाने की स्थिति में मदिरा का प्रदाय लेने पर ड्यूटी एवं देशी/विदेशी मदिरा की कीमत, देय आयकर एवं परिवहन फीस आदि के भुगतान के विरुद्ध अनुमत होगा। ऐसी स्थिति में प्रदाय की जाने वाली मदिरा की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, किन्तु इस संबंध में सामान्य लायसेंस शर्त 29 के प्रावधान लागू होंगे। सामान्य लायसेंस शर्त 29 के अनुसार यदि किसी दुकान में, मदिरा प्रदाय एक सीमा से अधिक संभव न हो, तो इस नियम के परन्तुक के आधार पर कलेक्टर के लिखित आदेश से अतिरिक्त मदिरा की आपूर्ति के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

37. मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से उसी प्रकार की अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण

वर्ष 2014-15 में किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञापिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर, उसे उसी जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इसके लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रुपये 2.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रुपये 1.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस, जिस दुकान से मदिरा का अन्तरण किया जा रहा है, उसे अनुज्ञापिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी।

38. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण

38.1 वर्ष 2013-14 में ठेका अवधि समाप्त होने पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के फ्लूटकर विक्रय की दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को वर्ष 2014-15 के लायसेंस को सामान्य लायसेंस शर्त 25 के अनुपालन में अंतरित करना होगा। इस अंतरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2013-14 में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन, वर्ष 2014-15 की वार्षिक लायसेंस फीस में मान्य नहीं होगा। यदि वर्ष 2014-15 में लायसेंस को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो केवल ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि, उसकी वर्ष 2014-15 की देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी। सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी इस तरह के मदिरा अन्तरण की अनुमति अपने जिले में ही दे सकेंगे।

38.2 यदि लायसेंस को यदि वर्ष 2014-15 के लिए उसी जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं होती है, लेकिन किसी अन्य जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य दुकान आवंटित होती है, तो केवल ऐसी स्थिति में ही दिनांक 30 अप्रैल 2014 तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अन्तरण की अनुमति दी जाने पर, अवशेष मदिरा स्कंध देशी मदिरा, विदेशी

मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रुपये 5.00 प्रति पूफ़ लीटर तथा बीयर पर रुपये 3.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी।

39. मदिरा दुकानों की बिक्री का समय

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/संधारित किये जाने के लिये मदिरा दुकानें प्रातः 8.30 बजे से खोली जायेंगी। प्रातः 8.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि में 10.30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेन्ट, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री एवं उपभोग का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा।

40. दुकानों का निरीक्षण

प्रत्येक लायसेंसी को अपने लायसेंस परिसर में विभाग द्वारा जारी की गई निरीक्षण पुस्तिका एवं मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों का संधारण करना अनिवार्य होगा। इसमें आबकारी विभाग सहित किसी भी अधिकारी को दुकान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पूर्व अपना नाम, पदनाम, आगमन का दिनांक व समय अंकित करने के साथ हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही वह अग्रिम कार्यवाही करेगा। ऐसी कार्यवाही का संक्षिप्त सारगर्भित विवरण भी उक्त निरीक्षण पुस्तिका में अंकित किया जायेगा। यह निरीक्षण पुस्तिका आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा नियत की गई कीमत के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध लायसेंसी को प्रदाय की जायेगी। लायसेंसी को अपनी दुकान में क्लोज सर्किट टेलीविजन या वीडियो कैमरा के उपयोग की अनुमति होगी। लायसेंस परिसर/दुकान के निरीक्षण के लिये अधिकृत किसी अधिकारी को यदि निरीक्षण पुस्तिका, निरीक्षण टीप अंकित करने हेतु प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो इसे गंभीर उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

41. लायसेंस का हस्तांतरण

यदि लायसेंस की अवधि के दौरान किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंस का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, संबंधित लायसेंस की शेष अवधि के वार्षिक मूल्य आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस को बीच में हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता), दोनों ही बाध्य रहेंगे। वर्ष 2014-15 के लिए मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस के हस्तांतरण के लिए, उस मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के पांच प्रतिशत के समतुल्य राशि हस्तांतरण फीस के रूप में प्रभारित की जायेगी।

42. वर्षान्त में प्रतिभूति का बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन

42.1 देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति के पूर्व जब भी प्रतिभूति की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस एवं उस अवधि की अन्य कोई भी देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायसेंसी जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही बेसिक तथा वार्षिक लायसेंस फीस के विरुद्ध चाहता है तो, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का वार्षिक मूल्य रुपये एक करोड़ तक होने पर रुपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रुपये एक करोड़ से अधिक होने पर, प्रति अतिरिक्त रुपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये अनुपातिक रूप से रुपये एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि प्राप्त कर आदेशित की जायेगी। अतिरिक्त प्रतिभूति की यह राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

42.2 उपरोक्त कण्डिका क्रमांक-42.1 अनुसार प्रतिभूति प्राप्त करने के उपरान्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा नगद जमा अग्रिम प्रतिभूति की राशि में से, वर्ष 2014-15 के लिए देय अवशेष सम्पूर्ण बेसिक लायसेंस फीस की राशि कम करके, शेष राशि के विरुद्ध मदिरा का प्रदाय, उपरोक्त कण्डिका क्रमांक-42.1 में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन दिया जा सकेगा, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित देय पाक्षिक लायसेंस फीस से अधिक मदिरा की मात्रा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

- 42.3 अग्रिम प्रतिभूति की राशि यदि नगद जमा से भिन्न, बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूप में है तो ऐसी प्रतिभूति की राशि के विरुद्ध मदिरा का प्रदाय, बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा की राशि मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में कोषालय चालान द्वारा जमा होने के उपरान्त ही अनुमत होगा।
43. मदिरा दुकानों के लिए गोदाम की व्यवस्था
- 43.1 नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों व आदेशित प्रतिबंधों के अधीन, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा वर्ष 2014-15 में भी गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा।
- 43.2 नगर निगम क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा दुकानों में मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में आदेशित प्रतिबंधों के अधीन गोदाम स्वीकृत किये जाने की अनुमति वर्ष 2014-15 में भी दी जा सकेगी।
44. मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर बिक्री की अनुमति
राज्य शासन द्वारा घोषित वाईन नीति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में ही निर्मित की जाने वाली वाईन के निर्माताओं को राज्य के जिला मुख्यालयों तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के साथ-साथ, खजुराहो में एक या अधिक कम्पनी रिटेल आउटलेट स्वीकृत किये जा सकेंगे। साथ ही विनिर्माता इकाई द्वारा फ्रेंचाईजी/अधिकृत किये गये व्यक्ति को भी नगर निगम क्षेत्र में वाईन के फुटकर विक्रय के लिए रिटेल आउट-लेट स्वीकृत किये जा सकेंगे। इन रिटेल आउटलेट पर वाईन की आपूर्ति विनिर्माणी (वाईनरी) से सीधे की जा सकेगी। जिले की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान और बार के लायसेंस को उसी जिले के रिटेल आउटलेट से ऐसी वाईन प्रदाय की जा सकेगी। इसकी वार्षिक लायसेंस फीस पूर्ववत् रुपये 100/- रहेगी।
45. पुनर्निष्पादन
वर्ष 2014-15 के लिए सार्वजनिक रूप से टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने पर किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनर्निष्पादन, इस आधार पर आदेशित नहीं किया जायेगा कि उसके निष्पादन के समय उपस्थित कोई टेण्डरदाता, निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर के विरुद्ध अधिक ऑफर देने का इच्छुक होकर, निष्पादित की गयी दुकान के पुनर्निष्पादन की अपेक्षा रखता हो।
46. लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुनर्निष्पादन
लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, वार्षिक मूल्य (बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस) जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस मदिरा दुकान/एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे। एकल समूह की स्थिति में किसी एक दुकान का लायसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर, उक्त एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा। लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन होने तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा। टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकान/एकल समूह के पुनः निष्पादन अथवा विभागीय संचालन में, वर्ष 2014-15 के लिए निष्पादन उपरान्त प्राप्त वार्षिक मूल्य की तुलना में, जो भी राशि कम प्राप्त होगी, वह मूल अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य होगी। पुनः निष्पादन किस मूल्य पर किया जाए, इसके लिए जिला समिति को मैदानी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार होंगे।
47. मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर साईन बोर्ड
मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस द्वारा मदिरा दुकान पर अधिक से अधिक 10 फुट लम्बे एवं 4 फीट चौड़े/ऊँचे आकार का एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार, उसकी अवस्थिति, लायसेंस का क्रमांक, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंस का नाम अंकित होगा।

48. शुष्क दिवस

वर्ष 2014-15 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगे:-

48.1 15 अगस्त, 2014 (स्वतंत्रता दिवस)

48.2 02 अक्टूबर, 2014 (महात्मा गांधी जयंती)

48.3 26 जनवरी, 2015 (गणतंत्र दिवस)

(1) इसके अतिरिक्त कलेक्टर को प्रशासकीय तथा लोकहित में यह भी अधिकार होगा कि किन्ही भी अतिरिक्त 4 दिनों के लिए किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक दुकानें अथवा तहसील या जिले की समस्त दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित करें।

(2) लोक सभा तथा विधान सभा एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साधारण (जनरल) और उप निर्वाचन के समय मतदान तथा मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा आदेशित/निर्देशित व्यवस्थाओं के परिपालन में, मतदान क्षेत्र की दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की दुकानें कलेक्टर द्वारा बन्द किया जाना आदेशित किया जा सकेगा।

टीप- स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत शामिल है। ऐसे समय पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की दुकानें बन्द रहेगी, जहां निर्वाचन हो.

(3) यदि उक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस को कलेक्टर के लिखित आदेश से दुकानें बन्द की जाती हैं, तो उन दुकानों के बन्द रहने की अवधि में संबंधित दुकान के ठेकेदार को दुकान के लिए निर्धारित लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट की पात्रता होगी।

49. वैट का भुगतान

49.1 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस को देशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार को देय वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान करना होगा। देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंस यह राशि उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली देशी मदिरा की कीमत के साथ अतिरिक्त रूप से ले सकेगा।

49.2 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंस को वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) का भुगतान भी करना होगा। विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंस यह राशि उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली विदेशी मदिरा की कीमत के साथ अतिरिक्त रूप से ले सकेगा।

50. अन्य कर

ठेका अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर, फीस या चार्ज लगाया जावेगा तो, अनुज्ञापिधारी इस बाबत बेसिक लायसेंस फीस अथवा वार्षिक लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

51. मद्य निषेध की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बन्द करना

राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/दुकानें बन्द की जाती हैं तो, इसके कारण लायसेंस को शासन द्वारा कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से भी राज्य की किसी भी दुकान का पुनः निष्पादन करने का निर्णय लिया जाता है तो, ऐसा करने का अधिकार शासन को होगा तथा उस पर किसी लायसेंस की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय नहीं होगी। यदि लायसेंस की अवधि में लायसेंस को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक, राजनैतिक उपद्रवों, कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति होती है तो, लायसेंस को किसी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

52. ठेका की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की ये सभी शर्तें, वर्ष 2014-15 के दौरान होने वाले पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी प्रभावशील रहेंगी।

53. अन्य व्यवस्थाएँ लागू रहना

वर्ष 2014-15 के लिए देशी मदिरा प्रदाय, मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं संचालन आदि के संबंध में वर्ष 2013-14 में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्था एवं प्रक्रिया जिनका उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएँ, प्रावधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत् लागू रहेंगी।

54. बार लायसेंसों के संबंध में

- 54.1 वर्ष 2014-15 के लिए समस्त रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं क्लब बार लायसेंसों की वर्ष 2013-14 के लिये निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस ही प्रभारित की जायेगी।
- 54.2 वर्ष 2014-15 के लिए समस्त रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं व्यवसायिक क्लब बार लायसेंसों की वर्ष 2013-14 के लिये निर्धारित मिनिमम गारंटी ही वर्ष 2014-15 के लिए यथावत निर्धारित रहेगी।
- 54.3 वर्ष 2014-15 के लिये व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी नगरीय क्षेत्र के लिये निर्धारित लायसेंस फीस के समतुल्य प्रभारित की जायेगी।
- 54.4 वर्तमान में संचालित रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं क्लब बार लायसेंस वर्ष 2014-15 के लिए किस निकटतम स्थित विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1/एफ.एल.-1-कककक) दुकान से सम्बद्ध रहेंगे, इसकी घोषणा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन के पूर्व की जायेगी।
- 54.5 वर्ष 2014-15 के लिए रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, क्लब बार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/पुनस्वीकृति व संचालन आदि के संबंध में वर्ष 2013-14 में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्था एवं प्रक्रिया जिनका उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएँ, प्रावधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत् लागू रहेंगी।
55. वर्ष 2014-15 में स्वीकृत/जारी किये जाने वाले देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय-समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अधीन रहेंगे।
56. जिले की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण एवं टेण्डर द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 1000/- (रुपये एक हजार केवल) पृथक से नगद जमा करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी।
57. नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि के लिये निष्पादन टेण्डर द्वारा **दिनांक 31 जनवरी, 2014 दिन शुक्रवार** को निम्न वर्णित कार्यक्रम अनुसार किया जायेगा :-

57.1	टेंडर प्रपत्र विक्रय का स्थान, तिथि व समय।	राज्य के किसी भी जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 18 जनवरी 2014 से दिनांक 30 जनवरी 2014 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 17.30 बजे तक तथा दिनांक 31 जनवरी 2014 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
57.2	भरे हुए टेंडर प्रपत्र जमा करने का स्थान तिथि व समय।	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2014 से दिनांक 29 जनवरी 2014 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 17.30 बजे तक संबंधित संभागीय उपायुक्त आबकारी के कार्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2014 से दिनांक 30 जनवरी 2014 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 17.30 बजे तक संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2014 से दिनांक 30 जनवरी, 2014 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 17.30 बजे तक तथा दिनांक 31 जनवरी 2014 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 13.30 बजे तक।
57.3	प्राप्त टेंडर प्रपत्र को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही का स्थान, तिथि व समय।	टेंडर द्वारा निष्पादन के सूचित/घोषित स्थल पर दिनांक 31 जनवरी 2014 दिन शुक्रवार को दोपहर 14.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

एस. के. वेद, आबकारी आयुक्त.

मदिरा के फुटकर बिक्री के लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन के स्थल

क्रमांक	जिले का नाम	निष्पादन स्थल
1	इंदौर	कलेक्टोरेट, इन्दौर
2	झाबुआ	कलेक्टोरेट, झाबुआ
3	अलीराजपुर	कलेक्टोरेट, अलीराजपुर
4	खरगौन	स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेक्टोरेट, खरगौन
5	बड़वानी	कलेक्टोरेट, बड़वानी
6	धार	कलेक्टोरेट, धार
7	खण्डवा	आबकारी भवन परिसर, खण्डवा
8	बुरहानपुर	कलेक्टोरेट, बुरहानपुर
9	भोपाल	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, भोपाल
10	राजगढ़	नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा)
11	विदिशा	कलेक्टोरेट, विदिशा
12	सीहोर	कलेक्टोरेट, सीहोर
13	रायसेन	कलेक्टोरेट, रायसेन
14	होशंगाबाद	कलेक्टोरेट, होशंगाबाद
15	हरदा	कलेक्टोरेट, हरदा
16	बैतूल	जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल
17	जबलपुर	कलेक्टोरेट, जबलपुर
18	डिण्डोरी	कलेक्टोरेट, डिण्डोरी
19	सिवनी	कलेक्टोरेट, सिवनी
20	छिंदवाड़ा	कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा
21	कटनी	कलेक्टोरेट, कटनी
22	बालाघाट	कलेक्टोरेट, बालाघाट
23	मंडला	कलेक्टोरेट, मण्डला
24	नरसिंहपुर	न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर
25	ग्वालियर	कलेक्टोरेट, ग्वालियर
26	मुरैना	कलेक्टोरेट, मुरैना
27	भिण्ड	कलेक्टोरेट, भिण्ड
28	श्योपुर	जिला आबकारी कार्यालय, चम्बल कालोनी, श्योपुर
29	गुना	कलेक्टोरेट, गुना
30	अशोकनगर	कलेक्टोरेट, अशोकनगर
31	शिवपुरी	न्यू कलेक्टोरेट, शिवपुरी रोड, शिवपुरी
32	दतिया	संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, दतिया
33	सागर	कलेक्टोरेट, सागर
34	दमोह	नवीन कलेक्टोरेट, दमोह
35	पन्ना	कलेक्टोरेट, पन्ना
36	टीकमगढ़	संयुक्त कार्यालय भवन, जिला आबकारी कार्यालय टीकमगढ़
37	छतरपुर	कलेक्टोरेट, छतरपुर
38	रीवा	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, रीवा
39	सतना	कलेक्टोरेट, सतना
40	शहडोल	संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
41	उमरिया	कलेक्टोरेट, उमरिया
42	अनूपपुर	कलेक्टोरेट, अनूपपुर
43	सीधी	कलेक्टोरेट, सीधी

44	सिंगरौली	कलेक्टर, सिंगरौली
45	उज्जैन	कलेक्टर, उज्जैन
46	शाजापुर	कलेक्टर, शाजापुर
47	आगर (मालवा)	कलेक्टर, आगर (मालवा)
48	मंदसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर
49	नीमच	कलेक्टर, नीमच
50	रतलाम	जिला आबकारी कार्यालय, रतलाम
51	देवास	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, देवास

एस. के. वेद, आबकारी आयुक्त.